| TO SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 |
|--|
| IN THE COURT OFJ.M.F.C., Gohad, DIST Bhind (M.P) |
| Case No |
| Name and address of the Complainant |
| |
| |
| \$778 go 21184 |
| Name, parentage, caste and address of accused |
| |
| 1) 21 SIO 25-27 71-7 3120 28 28 |
| |
| \$60 918 13 217 ES |
| |
| |
| The offence, complainant of, and date of, its alleged commission |
| own we such a few forms 27c//c/10 was |
| आप पर आरोप है कि (विनांक 💆 🖫 🗐 मुका |
| ma ca 250 1/8 |
| में आम रोड पर करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे ध |
| जो कि घारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। |
| क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। |
| |
| |
| The plea of the accused and his examination (if any) |
| - Dance |
| |
| A TO THE TOTAL TOT |
| The state of the s |
| ully a Marian |

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक 572-17 को घोषित)

01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध घाराइ.<u>भ. (३.)</u> पुलिस अधिनियम के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया ,गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के

आधार पर धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।

03. अभियुक्त को धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत रूपये 🛵 शब्दों में

प्पात उद्यो के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये

जाने परं ...ी..... का साधारण कारावास की सजा भुगतांथी जावे।

04. जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं ।

मेरे निर्देशन पर टंकित

क्रिया जुप्ता

विकास प्रभाग